ज्ञापांक–1687/तक0 / 2022

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–19वीं अप्रैल 2022

सेवा में,

MUKESH KUMAR AGARWAL,
203 GANGA APARTMENT,
SHANTI BHAWAN BANK MORE DHANBAD- 826001

विषयः– **मौजा–कोलाकुसुम, प्लॉट नं0–Old 183, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 & 200, New-200, 201, 202, 203, 205, 278 & 280, खाता नं0–Old-1, 30 & New-731, वार्ड नं0–00, थाना–सरायढ़ेला, जिला–धनबाद में प्रस्तावित बहुमंजिले व्यावसायिक भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित व्यावसायिक भवन की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, धनबाद के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–188 दिनांक–16.04.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त व्यावसायिक भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. प्रस्तावित व्यावसायिक भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,50,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के चारों तरफ 150mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ दोनों स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डाया का एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के बेसमेन्ट एवं पूरे व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्त्ति हेतु किये जानेवाले पाईपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
8. भवन के बेसमेन्ट को छोड़कर सभी व्यावसायिक तलों को Addressable स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।

9 अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता का फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय, जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg /CM^2 दाब की क्षमता हो।

10 900 Lpm क्षमता वाले टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।

11 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय, जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg /CM^2 दाब की क्षमता हो।

12 समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।

13 ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।

14 इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।

15 पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे। राईजर एवं स्प्रिंकलर के लिए अलग–अलग पंपिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।

16 उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।

17 प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी स्वचालित फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।

18 मानक के अनुरूप रिफ्यूज एरिया का निर्माण कराया जाय।

19 NBC के अनुसार अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवन के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय। सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरुप होना होना चाहिए।

20 सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।

21 Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।

22 भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।

23 भवन के बेसमेंट में प्रति 400 वर्गफीट के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

24 मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।

25 मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।

26 भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

27 बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

28 भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm System लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।

29 यदि कोई Fabric अथवा दहनशील पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो उसे अग्नि रोधी रसायन में Treatement अवश्य कर लिया जाय।

30 Banquet Hall के दोनों तरफ होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।

31 ए0सी0 डक्ट में मानक के अनुरूप में स्वचालित फायर डैम्पर का संस्थापन कराया जाय।

32 भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

33 भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।

34 अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।

35 भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।

36 राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.04.19 13:46:56 +05'30'

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।